

For Displaying in Univ. web site.



लेखा एवं वित्त विभाग
राजस्थान विश्वविद्यालय
जयपुर

क्रमांक:- ले.वि/2023/2367-72


दिनांक-9-1-2024

समस्त प्राचार्य,
विश्वविद्यालय सम्बद्ध महाविद्यालय,
राज.वि.वि.जयपुर।

महोदय,

वित्त नियन्त्रक एवम वित्तीय सलाहकार के आदेश दिनांक 14.12.2023 की अनुपालना में आपको सूचित किया जाता है कि आपके महाविद्यालय के बिजली, पानी एवम टेलिफोन के बिलों का भुगतान आपके महाविद्यालय स्तर पर कर पुर्नभरण हेतु रसीद एवम बिल की प्रमाणित फोटो प्रति के साथ लेखा एवम वित्त को भिजवाए जावें ताकि प्रक्रिया में लगने वाले समय के परिणाम स्वरुप देय Penalty से वि.वि. को होने वाली हानि से बचाव हो सके। इसी कम में लेख है कि किसी भी प्रकार के विलम्ब शुल्क का भुगतान विश्वविद्यालय के केन्द्रीय मद से नहीं किया जा सकेगा अतः बिलों का तय समय पर भुगतान भी सुनिश्चित करावें।

भवदीय,



उपकुलसचिव
(लेखा एवम वित्त)

8/1/24